

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/ 823

दिनांक - 24.02.25

प्रार्थी
1 उत्तमाराम पुत्र
करनाराम जाति
कुम्हार निवासी गूंगा
हाल बाड़मेर मगरा
तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

अप्रार्थीगण


1 उत्तमसिंह पुत्र हीरसिंह 2 गणपतसिंह पुत्र सवाईसिंह 3 गोरधनसिंह 4
भाखरसिंह पिसरान हीरसिंह 5 मानसिंह भाटी पुत्र उदयसिंह 6 राणसिंह 7
शैतानसिंह पिसरान सवाईसिंह 8 अन्तरकंवर पत्नि सवाईसिंह जातियान
राजपुत निवासीयान बाड़मेर मगरा तहसील तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर। 9 अणदूकवर पत्नि पपूसिंह जाति राजपुत निवासी रामदेव नगर
भेड तहसील ओसिया जिला जोधपुर 10 अर्जुनराम पुत्र चानणाराम जाति
कुम्हार निवासी कनोई तहसील 11 अर्जुनराम पुत्र भीखाराम जाति कुम्हार
निवासी जैसलाघोरा सोनडी तहसील व जिला बाड़मेर 12 देराराम पुत्र
भगाराम जाति कुमावत निवासी इन्द्रा कालोनी बाड़मेर 13 चेतनराम 14
छगनाराम 15 चुताराराम 16 अगाराराम पिसरान चान्दाराम उर्फ चन्दनाराम
जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी बोथिया हाल बाड़मेर मगरा तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-723/2024

दिनांक- 11/02/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बाड़मेर मगरा पटवार क्षेत्र बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर के खसरा संख्य 3927/2375 रकबा 0.6475 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते
हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी
कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित
(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया
जावेगा।



(वीरगा राम)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 824-27

दिनांक- 24.02.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रिकर्ड उपस्थित
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी उत्तमाराम पुत्र करनाराम जाति कुम्हार निवासी गूंगा हाल बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण उत्तमसिंह पुत्र हीरसिंह वगैराह जातियान राजपुत निवासीयान बाड़मेर मगरा तहसील तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर